

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सनराइज विद्यापीठ हाईस्कूल
टेकरी तालबेहट ललितपुर

पत्रांक: मा0शि0प0/क्षे0का0प्र0/मान्यता/ 317

दिनांक 30-06-2023

विषय: सीधे (कक्षा-9 व 10)/(कक्षा-6 से 10 तक) हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अनुमोदनोपरान्त शासन ने शासनादेश संख्या 781/15-7-2023-01(01)/2023 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 दिनांक 21 जून 2023 के द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (यथासंशोधित-2022) की धारा-7(4) के अन्तर्गत आपकी संस्था सनराइज विद्यापीठ हाईस्कूल टेकरी तालबेहट ललितपुर को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष-2025 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वन टाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा-7(क) के प्रावधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है :-

सामान्य प्रतिबन्ध

- (1) प्रबन्धाधिकरण कक्षाएँ संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राप्त, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराये।
- (2) इस मान्यता-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- (3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।
- (4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से की जायेगी।
- (6) नवीन कक्षाएँ संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

Mark
Principal
Sunrise Vidhyapeeth High School
Tekri-Talbehath (Lalitpur)

San
PRESIDENT-MANAGER-TREASURER
SUNRISE VIDHYAPEETH

विशेष प्रतिबन्ध

- (क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।
- (ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।
- (ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएं मान्य एवं संचालित नहीं होंगी।
- (घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में मान० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरुद्ध मान० उच्च न्यायालय में योजित विलयरी-फिकेशन अप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगे।

टिप्पणी— इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

[Signature]
क्षेत्रीय सचिव,

माध्यमिक शिक्षा परिषद्,

[Signature] क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।

पृष्ठांकन सं०:मा०शि०प०/क्ष०का०प्र०/मान्यता/

दिनांक 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिला विद्यालय निरीक्षक, ललितपुर।
- 2- संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, झांसी।
- 3- हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।
- 4- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, प्रयागराज।
- 5- उप सचिव, (सिस्टम सेल) मा०शि०प०, मुख्य कार्यालय, प्रयागराज।

[Signature]
Principal
Sunrise Vidhyapeeth High School
Tekri-Talbehah (Lalitpur)

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।

[Signature]
PRESIDENT-MANAGER-TREASURER
SUNRISE VIDHYAPEETH

PRESIDENT-MANAGER-TREASURER
SUNRISE VIDHYAPEETH